

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग
“मानव अधिकार भवन”, टीसी 34 वी-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

नोटिस

केस नं. : 4523 (65) /2016-2017/REP

सेवा में,

दिनांक : 28/06/16

जिलाधिकारी, वाराणसी

अवगत कराना है कि सना दास

से प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना(प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 23/06/16 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :

"I have gone through the allegations made in the complaint.

Let a copy of the complaint be sent to the District Magistrate, Varanasi who shall make necessary inquiry into the matter and submit the report before the Commission within four weeks.

List this petition after four weeks.

Sd/-

(Justice U.K. Dhaon)

Member

23/06/16"

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में :
वार्षिक सूचना/रिपोर्ट दिनांक 01/08/16 तक उपलब्ध करायें।
3. विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से ,

संलग्नक: यथोपरि

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सना दास

/
कृते सचिव

55ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर-1, कालू सराय

नई दिल्ली

कृते सचिव